SHRI NABAM REBIA : Sir, we all know that he North-Eastern region, in general, and Arunachal Pradesh, in particular, could be the power house of this country, and could provide a solution to the national power problem. As per official estimates, the region has a power potential of 3400036000 MW, but I believe it is much more than that. The statement laid by the Minister is very inspiring and encouraging. There is a consolation; it is said that the Ranganasdi Hydel Project has been commissioned by NEEPCO. But, Madam, this 405 MW Hydel Project which was started during my school days is yet to be commissioned, to the best of my knowledge. If it has been commissioned, how many units it is generating and why there has been so much of delay in the implementation and execution of this project. This is part (a) of my supplementary.

Part (b) of my supplementary is, if you could kindly name some of the mega power projects of the region, particularly, In Arunachal Pradesh; at what stage the project is; and whether there is any DPR pending with the Ministry. This is the information I would like to seek from you.

श्रीमती जयवंती मेहता : दोयांग एवं रंगा नदी का अभी कमीशन हुआ है। रंगा नदी 405 मेगावाट योजना का अभी उसका कमीशन हुआ है। आपने जो मेगा पावर के बारे में पूछा है, उसके बारे में मैं यही बताना चाहती हूं कि सियांग और सुबासिरी, लाअर, मिडिल ओर अपर, ऐसे 6 प्रोजेक्ट्स हैं तो मेगा पावर के रूप में माने जाते हैं। सियांग और सुबान्सिरी करीब 20 हजार मेगवाट के हैं और उसमें अपर सियोग पयिोजना 11 हजार मेगावाट तक की हैं इसके लिए मैं यह बता सकती हूं कि स्टेज एक जो है वह 2000 के दिसम्बर में सीईए को सबमिट कर दी गयी है। 21.5.2001 को जो एमओईएफ से साईट का क्लियरेंस उनको प्राप्त हो चुका है और सेकेंड स्टेज की जो कार्यवाही है वह भी साथ-साथ चल रही है। इन्वायरनमेन्ट क्लियरेंस, फारेस्ट क्लियरेंस अलग-अलग प्रकार के सारे क्लियरेंस यदि 2004 तक में हो जाएंगे तो यह प्रोजेक्ट 2011 तक कंप्लीट हो सकते हैं और इसमें करीब-करीब 20 हजार मेगावाट तक का विद्युत उत्पादन कर सकते हैं।

Implementation of Parbati Hydro-electric project

*602. SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU) : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what progress has so for been made in the implementation of the Parbati-Hydro-electric Project (2051 MW);

(b) the share of power allocation form the project to Rajasthan, Himachal Pradesh and other States and on what terms;

(c) whether there still persists any dispute about the allocations of power among the States; and

(d) if so, the details thereof and the steps taken by Government to resolve the dispute as per the Memorandum of Understanding signed in the beginning of 1992?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI JAYAWANTI MEHTA) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Regarding implementation of Parbati Hydro-electric Project : The National Hydro-electric Power Corporation (NHPC) has executed an Agreement with Government of Himachal Pradesh on 20.11.1998 for development of 2051 MW of hydro-electric power project in three stages on river Parbati in Kullu District of Himachal Pradesh.

The Government of India accorded approval in December, 1999 for taking up survey and investigation activities and preparation of Detialed Project Report (DPR) of the Parbati HE Project State-II (800 MW) by NHPC for a cost of Rs. 77.62 crores. NHPC completed the survey and investigation activities and prepared a revised DPR for Parbati HE Project Stage-II (800 MW) which was submitted to Central Electricity Authority (CEA) in October, 2000. CEA accorded Techno Economic Clearance (TEC) to the project in January, 2001. The process for obtaining investment decision to the cost estimate of the Parbati HE Project Stage-II has been initiated.

A Memorandum of Understanding (MoU) had earlier been drawn on 20.10.1992 amongst the State of Rajasthan, Himachal Pradesh, Haryana and Gujarat and National Capital Territory of Delhi for investigation and execution of Parbati Hydro-electric Project Stage-II and Stage-III and investigation of Parbati Stage-I HE Project and also the associated transmission system. This MoU had provided that 12 per cent of energy generated from the project shall be given to Himachal Pradesh free to cost and the remaining 88 per cent of

energy generated from the project was to be apportioned amongst the States, including Himachal Pradesh in the ratio of their equity participation.

In July, 1998, the Chief Minister, Himachal Pradesh conveyed to the Partner States of MoU of 1992 that the agreement entered in 1992 was not workable as some of the States had not been contributing their due share of equity, and as an alternative the Government of Himachal Pradesh and decided after considerable thought that the execution of the project be entrusted to a Central Public Sector Undertaking such as NHPC. Accordingly the Agreement was signed between the Government of Himachal Pradesh and NHPC on 20.11.1998 for execution of the three stages of the project in the Central Sector.

The Government of Himachal Pradesh also informed the Government of India that after the communication of July 1998 entrusting the execution of the project to a CPSU, the signing of the Agreement with NHPC on 20.11.1998, the MoU of 20.10.1992 stands abrogated.

The sharing of power generated from the Parbati Projects amongst the States/Union Territories in the Northern Region would be in keeping with the sharing guidelines applicable for Central Sector hydro stations.

SHRI AIMADUDDIN AHMED KHAN (DURRU) : Sir, it may be observed from the reply that a Memorandum of Understanding for sharing the cost and the power to be generated from the Parbati Hydro-electric Project was signed in 1992 between Rajasthan, Himachal Pradesh, Gujarat, Haryana and Delhi, where Rajasthan was to take equity shares and power allocation of 40 per cent, after accounting for 12 per cent free power to Himachal Pradesh; and a Sum of Rs. 7.3 crores was paid by Rajasthan towards its contribution. There is no mention of it in the reply.

However, on 20th November, 1998, the Himachal Pradesh SEB and the National Hydro-electric Power corporation (NHPC) entered into an agreement for execution of the same project, ignoring and side-tracking the participation and claims of Rajasthan altogether.

Since then the Government of Rajasthan has been trying to get justice under the original agreement of 992, under which it had already paid a substantial amount of Rs. 7.3 crores. The Chief Minister of Rajasthan even wrote a letter to the hon. Prime Minister on 4th February, 2000 to intervene and to give Rajasthan its due share of power. My first supplementary is this. I would like to know from the hon. Minister whether an MoU, which has been entered into between the two States, can be abrogated unilaterally by one of then and what effective steps have since been taken to secure the due share of Rajasthan.

श्रीमती जयवंती मेहता : सम्मानीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे है वह बहुत ही सही है, क्योंकि 20 अक्तूबर 1992 में हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन पांच राज्यों के बीच में एक एमओयू साईन हुआ था। पार्वती नदी के ऊपर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए जो यह एमओयू साईन हुआ उसमें निश्चित रूप से राजस्थान को 40 परसेंट, हरियाणा को 25 परसेंट गुजरात और दिल्ली को 15-15 प्रतिशत और हिमाचल को पांच प्रतिशत बिजली देने का करार उन लोगों ने किया था और उस समय उसके कार्यान्वयन के लिए इक्वटी प्रदान करने के लिए पांच राज्यों ने स्वीकार किया था, लेकिन 1992 से लेकर 1998 तक के 6 वर्षों तक कुछ राज्यों ने अपनी इक्वटी का हिस्सा नहीं दिया, उसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा था। इसलिए हिमाचल प्रदेश ने इस प्रोजेक्ट के लिए एनएचपीसी के साथ एमओयू साईन किया और एमओयू साईन करके इसके कार्यान्वयन के लिए आगे निर्णय किया। जब यह दूसरा एनएचपीसी के साथ एमओयू साईन हुआ तो उस समय पहले वाला एमओयू रद्द हो गया। इसलिए उस समय जो तय किया गया था 40 प्रतिशत पॉवर देने के लिए राजस्थान का वह बचता नहीं है क्योंकि वह पूरा एमओयू रद्द हो चुका था। अब यह नया एमओयू साईन हुआ है, तो केन्द्र सरकार की बिजनी के वितरण की नई व्यवस्था के आधार पर, नए फॉर्मूले के आधार पर ही राज्य सरकार की बिजली का आवंटन किया जा सकता है। उस समय जो पत्र लिखा था राजस्थान के मुख्य मंत्री ने उसके जवाब में माननीय कुमार मंगलम जी ने अपना उत्तर दे कर इस बात को स्पष्ट कर दिया था।

SHRI AIMADUDDIN KHAN (Durru) : Sir, I have specifically asked the hon. Minister whether an MoU can be unilaterally abrogated by one State because it was unilaterally abrogated by one State. There is no mention of the reply from the hon. Prime Minister on this issue. In this connection, I would like to mention that natural resources

are national resources and the benefits of these resources cannot be confined to any individual State. Rajasthan is a State deprived of water and power resources, and has to depend on the adjoining States for it developmental needs. Therefore, agreements and MoUs are signed with the neighbouring States like Himachal Pradesh and Punjab for sharing power; and they do have some sanctity. Now, in this case, Himachal Pradesh wishes to get away from its obligation of sharing power, by ignoring Rajasthan, under its agreement with the NHPC.

Sir, Rajasthan has all along been at disadvantage while sharing power with Punjab under the Indus River Agreement, and now, with Himachal Pradesh, it is facing the same problem and, again, begging for its due legal share. Will the hon. Minister assure this House that Rajasthan's due share will be secured under the 1992 MoU?

श्रीमती जयवंती मेहता : आपने जो सवाल पूछा है इसके प्रत्युत्तर में मैं यह बताना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश ने एनएचपीसी के साथ में जो एमओयू साईन किया, उसमें उन्होंने इस प्रकार से मांग की थी जो 12 प्रतिशत फ्री पॉवर दी जाती है, वह 12 प्रतिशत फ्री पॉवर प्लॅस सैन्टर एलोकेशन के लिए जो 15 प्रतिश.. पॉवर दी जाती है 15 प्रतिशत वह पॉवर और सैन्टर एलोकेशन का जो उसमें से मिलने वाला कोटा है, उसका जो परसेंटवाइज कोटा है वह पूरे का पूरा हिमाचल प्रदेश को दिया जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश से इस बात का आग्रह करने के बाद भारत सरकार के पास यह एम॰ओ॰यू॰ मंजूरी के लिए आया था। उसके पश्चात् नॉर्दर्न रीजनल इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक मीटिंग 18.12.2000 को हुई ओर उस मीटिंग में नॉदर्न रीजनल के सभी राज्यों ने हिमाचल प्रदेश की इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने बताया कि जब एन॰एच॰पी॰सी॰ इस प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन करने जा रही है और वह चूंकि केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है, इसलिए केन्द्र सरकार के उपक्रम को अपने सिद्धांतों और फॉमूले के आधार पर बिजली का आवंटन करना चाहिए। ऐसी मांग उन्होंने रखी और उस मीटिंग में हुए निर्णय के आधार पर ही यह तय किया गया कि जो फॉर्मूला और गाइडलाइंस निर्धारित हैं, उसी के आधार पर पांचों राज्य को बिजली का आबंटन किया जाएगा।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी : माननीय सभापति जी, मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्य के मध्य जो एम॰ओ॰यू॰ साइन हुई थी, उस में क्या गुजरात ने कोई इक्विटी दी थी और क्या बाकी के राज्यों ने भी इक्विटी प्रदान की थी? साथ ही जब एन॰एच॰पी॰सी॰ के साथ यह

समझौता हुआ तो क्या इन राज्यों के हितों के बारे में या इन के योगदान के बारे में विचार किया गया था और अब जो स्थिति है, उस में गुजरात प्रांत को कुछ बिजली अलग से प्राप्त होने वाली है?

श्रीमती जयवंती मेहता : सभापति महादेय, इक्विटी के बारे में मैं यह कह सकूंगी कि 7 करोड़ से कुछ अधिक इक्विटी का हिस्सा राजस्थान ने दिया था और बाकी के राज्यों का इक्विटी का हिस्सा मिला नहीं था, इसी कारण से वह काम जल्दी आगे नहीं बढ़ पाया। महोदय, राजस्थान ने दिए हुए अपनी इक्विटी के हिस्से को फिर से मांगा था कि वह पैसा उन को वापिस मिल जाये क्योंकि उन्होंने इक्विटी दी थी। उस बारे में माननीय विद्युत मंत्री नी ने जवाब दिया था कि वह पैसा आप ने हिमाचल प्रदेश को दिया था, उसे आप हिमाचल प्रदेश से ही वापिस ले सकते हैं क्योंकि एन०एच०पी०सी० को वह पैसा नहीं दिया गया था।

महोदय, जहां तक गुजरात को बिजली प्रदाय के बारे में पूछा गया, तो उसको भी सेंट्रल एलोकेशन के फार्मूले और गाइडलाइंस के आधार पर ही बिजली का आबंटन किया जाएगा। महोदय, आज इस प्रोजेक्ट की दृष्टि से मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगी कि उसे प्रि-पब्लिक इनवेस्टमेंट बोर्ड के पास भेजा गया है ओर आने वाली 22 मई को पी०आई०बी० की मीटिंग निर्धारित की गई है। महोदय, गुजरात नार्थ जोन में नहीं आता है, वह वेस्टर्न जोन में आता है, इसलिए सरप्लस बिजली जब बचेगी तो उस में से हम गुजरात को दे सकेंगे। सर, उस के लिए हम ने एक फॉर्मूला बनाया है और जो स्टेट्स रिफार्म्स करेंगे, उन को प्रॉयेरिटी के ऊपर बिजली देंगे। मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी कि जो 12 प्रतिशत फ्री बिजली दी जाती है, वह होम स्टेट को दी जाती है और उस के पश्चात् हम ने फार्मूले में बदलाव किया है जिसके आधार पर हम यह कह सकेंगे कि जो राज्य उसे खरीदने की क्षमता रखते होंगे, उन्हीं को पैसा देंगे व कैश एंड कैरी सिस्टम को अपनाएंगे और जो राज्य खरीदने में सक्षम नहीं होगा तो बाहर के राज्यों को बेचने के लिए भी हम उस का उपयोग कर सकते हैं।

SHRI C. RAMACHANDRIAH : Sir, the hon. Minister has given a very exhaustive reply about the overall potential of the country and about the demand and supply. What I am trying to ascertain from the hon. Minister is this. I don't think it would be possible to execute these projects during whole of my life, with all the resource crunch that the country is facing. In such a caser, why don't you encourage small projects like canals? If there is 2000 cusecs of water in a canal, we can generate power and then the water can be

sent back to the main canal. Why isn't the Government contemplating to encourage mini hydel projects which can be executed within a very short period of time to meet the demands of the country? What exactly is the Government planning to strengthen institutions like the ERADA? Of course, it is handled by a different Ministry. But, after all, the propose to take to strengthen, ERADA? What proposals has the Government got in this regard?

श्रीमती जयवंती मेहता : माननीय सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो बात कही है, उससे हम लोग सहमत हैं। आपकी ओर से जो भी सूचनाएं माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए मिली हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अभी-अभी गैर-पंरपरागत ऊर्जा स्रोतों के मंत्री जी के साथ हमने मीटिंग की है और उसमें भी इसको अधिक प्रोत्साहित करने के लिए पूरा प्रयास किया गया है और जो रेकिंग स्टडी की है, उसमें भी इसको लिया गया है। जो तीन मेगावाट से छोटे प्रोजेक्ट हैं, उसका उल्लेख मैंने इस रैंकिंग स्टडी के उत्तर में नहीं किया है लेकिन उसकी भी रैकिंग स्टडी की गई है और उसका हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे। उसको भी हम प्रोत्साहन करने जा रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, मैं माननीय महोदया से जानना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के बहुत छोटे-छोटे हिस्से हैं। एक तो आपका यह एनएचपीसी से 20 नवबंर, 1998 को समझौता हुआ, जैसा आपने बताया, लेकिन इसके पहले जुलाई, 1998 में हिमाचल प्रदेश ने कह दिया था कि पहले वाला समझौता रद्द है। आप देखें, आप ही की दी हुई तारीख है, हिमाचल प्रदेश ने जुलाई में ही कह दिया था कि 1992 वाला समझौता रद्द है, जिस पर आगे वह कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसके बाद फिर नवंबर 1998 में हिमाचल प्रदेश से आपका समझौता हुआ। कृपा करके आप यह बताएं कि क्या समझौते के वक्त उन सब राज्यों को विश्वास में लिया गया, जिनका समझौता किया गया? मेरे प्रश्न का ए भाग तो यह है। बी भाग, राजस्थान ने इक्विटी शेयर देने की कोशिश की, सात या सवा सात करोड़ रुपए उसने दिए, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है, तो क्या राजस्थान के दावे पर या राजस्थान की भागीदारी पर नए सिरे से विचार होगा? अंतिम, महत्वपूर्ण भाग मेरे प्रश्न का यह है कि आप सारे देश के बिजली बोर्ड उसे खरीदेंगे या जो भी इससे जुड़े हुए राज्य हैं वह खरीदेंगे। उनसे पैसा वसूल करने के लिए आपकी क्या नई स्कीम होगी? क्या आप इन्हीं प्रचलित कानूनों के आधार पर, इन्हीं प्रचलित परंपराओं के आधार पर उनसे पैसा लेंगे? इस तरह तो बिजली बोर्ड दिवालिया होते चले जा रहे है। बिजली ठप्प होती जा रही हैं, देश के बड़े हिस्से अंधेरे में डूबते चले जा रहे हैं। क्या आप कोई ऐसा नया प्रावधान करेंगे, जिससे कि आपको पैसा वसूल करने में दिक्कत न हो? मंत्री महादेय बड़ी कृपा होगी, यदि आप इस पर थोड़ा विस्तार से बताएंगी।

श्रीमती जयवंती मेहता : सभापति महोदय, सम्मानीय सदस्य ने जो बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति की बात कहीं, उससे तो हम सहमत हैं। राज्य विद्युत बोर्डों की जो यह वित्तीय स्थित बनी है, इसका कारण यही है कि वहां पर जितनी बिजली पैदा होती है उस बिजली की सही बिलिंग नहीं होती और जितनी बिलिंग होती है उतनी रिकवरी नहीं होती। इसी कारण उनकी वित्तीय अवस्था खराब होती चली गई है। आपको मैं यह बताना चाह रही हूं कि अभी हमने जो पावर रिफार्मस की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, उसके आधार पर राज्य सरकारों की रिकवरी होनी शुरू हुई है। कई राज्यों में हमारे साथ एमओयू साईन किया है। जो राज्य रिकवरी करने लगे हैं, उनकी वित्तीय अवस्था भी सुधर रही है। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के बारे में जो आपने पूछा, तो वर्ष 1998 में जो हिमाचल प्रदेशके साथ समझौता हुआ वही समझौता अब उपयोग में लिया जाएगा, पहले वाले समझौतों के बारे में अब कोई विचार करना उचित नहीं होगी। वर्ष 1992 के समझौते का तो पहले ही स्ट्रेटस नहीं रहा, जब एनएचपीसी ने नया समझौता किया और उसी के आधार पर कार्यान्वयन किया जाएगा। आपने जो रिफार्म की बात कही, मैंने आपके सामने अपनी बात रखी है और मुझे यह कहने में आनंद है कि माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में सारे मुख्यमंत्रियों की 3 मार्च, 2001 को जो मीटिंग हुई, उसमें पोलिटिकल मतभेदों को छोड़कर सभी मुख्यमंत्रियों ने अपना सहयोग जताया और मुझे विश्वास है कि सभी राज्यों से हर प्रकार से इसका समर्थन प्राप्त कर राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति में सुधार होगा।

श्री बालकवि बैरागी : सर, राजस्थान के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छूट गया है। राजस्थान ने आपको जो लगभग सात करोड़ रुपया दिया था, अब नए समझौते के आधार पर इस सारे मामले में राजस्थान का क्या होगा ?

श्रीमती जयवंती मेहता: सर, इसके लिए पूर्व माननीय मंत्री कुमारमंगलम जी ने एक चिट्ठी लिखी थी। राजस्थान ने जो 7.3 करोड़ रुपया इसमें दिया था, उसके बारे में उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री अशोक जी को चिट्ठी लिखकर बता दिया था कि वह पैसा हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, जो वह हिमाचल प्रदेश से प्राप्त कर लें।

श्री कृपाल परमार : सभापति महादेय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पार्वती परियोजना तीन चरणों में पूरा होने वाली थी, क्या अब इसको चरणबद्ध तरीके से तीन चरणों में पूरा किया जायेगा या तीनों चरणों को एक साथ शुरू किया जाएगा और उन तीनों चरणों के पूरा होने में कितना समय लगेगा?

मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा यह है कि पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश सरकार, जिसकी धरती पर बिजली का दोहन हो रहा है, केन्द्रीय सरकार के सामने जनरेशन टैक्स की मांग रख रही है, क्या केन्द्रीय सरकार इस जनरेशन टैक्स की मांग को पूरा करने का विचार रखती है या नहीं और अगर नहीं तो क्यों?

श्रीमत जयवंती मेहता : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने पार्वती नदी पर बनने वाली इस योजना के तीनों चरणों के बारे में पूछा है कि इन तीनों पर एक साथ काम होगा या कैसे होगा, इसकी जानकारी में मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि स्टेज 2, जो 800 मेगावाट का है, 12 दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया थ। स्टेज 1, जो 750 मेगावाट की योजना है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जून, 2000 में इसके फर्स्ट स्टेज की क्लीअरेंस के लिए हमने ऐप्लाई किया था, लेकिन दिसम्बर, 2000 में वह रिजेक्ट हो गया। उसके बाद एनएचपीसी ने फिर से ऐन्सायरमेंट क्लीअरेंस के लिए ऐप्लाई किया, जो अगस्त 2001 में फिर से रिजेक्ट हो गया। एनएचपीसी ने इसके बाद एमओईएफ के साथ, मुख्य विद्युत सचिव के साथ एक मीटिंग की ओर दोबारा उसको कंसीडर करने के लिए कहा, लेकिन वह वहां भी रिजेक्ट हो गया। इसलिए इसके बारे में आज कुछ कहना मुझे उचित नहीं लगता।

सैकिंड स्टेज के बारे में मैं यह जानकारी दे सकती हूं कि सैकिंड स्टेज के सर्वे-इन्वेस्टिगेशन के लिए 77.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसका उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट, साइट आफिस और ऐप्रोच रोड वगैरह बनाने के लिए किया गया है। उसका रिवाइज्ड डीपीआर बन चुका है और उसका टीईसी जनवरी, 2000 में मिल चुका है। इसको ऐन्वायरमेंट एंड फारेस्ट क्लीअरेंस भी मिल चुका है। 20 दिसम्बर, 2001 को उसका प्रि-पीआईबी भी हो चुका है, पीआईबी क्लीअरेंस के लिए वह लम्बित है। 20 मई को जो मीटिंग निर्धारित की गई है, उसमें उसके बारे में विचार किया जाएगा और उसके पश्चात् सीसीईए, केबिनेट कमेटी आन इकनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी के बाद उसका काम शुरू होगा।

तीसरी स्टेज 520 मेगावाट की है, उसका डीपीआर पहले हिमाचल विद्युत बोर्ड ने बनाया था, एनएचपीसी ने इसी डीपीआर की स्टडी की है और सीईए ने इसको कमर्शियली वायबल मान लिया है, उसकी आगे की कार्यवाही शुरू है।

डा० अबरार अहमद : सभापति महोदय, मैं माननीया मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि पांच राज्यों के विद्युत के संबंध में आपसी हित का एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता था और इस समझौते के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह समझौता एकपक्षीय निरस्त हो सकता था? सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने इस समझौते को रद्द कर दिया और बाकी चार राज्यों से उस संबंध में कोई जानकारी नहीं ली। 1992 में जो समझौता हुआ था, 1998 में वह रद्द किया गया। उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि कुछेक राज्यों ने अपने हिस्से का अंशदान नहीं दिया।

मैं माननीय मंत्री महदोय से यह जानना चाहूंगा कि 6 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश ने कब-कब, किस-किस राज्य से कितनी-कितनी राशि मांगी, किन-किन राज्यों ने नहीं दी और राजस्थान, जिसने 7.25 करोड़ रुपया दे दिया है, उसके हक पर इतना बड़ा कुठाघात क्यों किया गया? आपने अभी अपने जवाब में बताया कि यह राशि हिमाचल प्रदेश को दी गई है और हिमाचल प्रदेश ही उसे देगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसमें केन्द्रीय सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है या नहीं? राजस्थान, जो अपना अंशदान दे चुका था, बिना उसे पूछे उस समझौते को रद्द कर दिया गया और अब अपना पैसा मांगने पर यदि यह कहा जाए कि हिमाचल प्रदेश से बात करें और वही राशि देगा, यह सही नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का उसमें क्या दायित्व है, अन्य राज्यों की उसमें अंशपूंजी क्या-क्या थी, कितनी-कितनी थी और कब-कब वह मांगी गई?

श्रीमती जयवंती मेहता : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि 1992 में जो समझौता हुआ, उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश ने कितनी बार किन-किन राज्यों से अपनी इक्वटी मांगने के लिए प्रयास किया। महोदय, यह सवाल केन्द्र सरकार से संबंधित नहीं है, यह सवाल राज्यों से संबंधित है। इसलिए मैं इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं हूं आपने बताया कि राजस्थान में आज बिजली का बहुत बड़ा संकट है। केन्द्र सरकार का विद्युत मंत्रालय बराबर राजस्थान सरकार के साथ संपर्क में है और जहां भी बिजली की आवश्यकता हो, केन्द्र सरकार उस संकट को दूर करने में राजस्थान सरकार को पूरा सहयोग दे रही है। अपनी नीतियों के आधार पर आज विद्युत मंत्रालय राजस्थान सरकार के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तत्पर है।

डा॰ अबरार अहमद : सभापति महादेय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : हो गया.... (**व्यवधान**)

डा॰ अबरार अहमद : सभापति महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में यह बात कही गई है कुछ राज्यों ने इक्विटी का अंशदान नहीं दिया है .... (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN : Nothing more. *(Interruptions)* We have already spent 45 minutes on two questions relating to power. *(Interruptions)*

श्री राजी शुक्ल : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च, 2001 में सांसदों को विद्युत मंत्री जी का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस देश में डेढ़ लाख मेगावाट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर का पोटेंशियल है और इसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथॉरिटी बेसिनवाइज सर्वे कर रही है। मंत्री महोदय के उत्तर

से लगा कि यह सर्वे करीब-करीब पूरा हो गया है। उस पत्र में यह कहा गया था कि विश्व बैंक की मदद से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो आणविक ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात थी, उस दिशा में क्या प्रगति हुई है?

श्रीमती जयवंती मेहता: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आणविक ऊर्जा के बारे में जो सवाल पूछा है, वह मेरे मंत्रालय से संबंधित नहीं है बल्कि उसका संबंध परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से है। इसलिए इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उस ऊर्जा स्रोत के बारे में हमारा मंत्रालय भी चिंतित है और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय के साथ सहयोग करके हम परमाणु ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग बिजली निर्माण के कार्यों में अवश्य करेंगे।

सभापति महोदय, रैकिंग स्टडी के बारे में माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, मैं यह तो नहीं कह सकती कि उसकी पूरी रिपोर्ट बन चुकी है लेकिन अभी उस पर कार्य चल रहा है। उसके लिए विदेशी एजेंसियों का सहयोग लेने का प्रयास हम कर रहे हैं।

*603. [The questioner (Dr. Aladi P. Raj Kumar) was absent. For Answer *vide* page infra. 72]

MR. CHAIRMAN: Now Question No. 604. Shrimati Savita Sharda.

सूती धागे के निर्यात में कमी

*604. **श्रीमती सविता शारदा:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सूती धागे के निर्यात में काफी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार सूती धागे के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) सूती यार्न के निर्यात ने वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 के दौरान मात्रात्मक रूप से बढ़ोतरी के प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि, वर्ष 2001-2002 (अप्रैल–नवंबर) के दौरान सूती यार्न के निर्यात ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति दशाई है। अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी की प्रवृत्ति के कारण इसमें